समावेशी शिक्षा की ओर भारत के बढ़ते कदम

डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव,

एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ–226017,उ.प्र.

शोध सारांश

समावेशी शिक्षा में प्रतभाशाली छात्र तथा सामान्य छात्र एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय या अर्द्धकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार समायोजन सामाजिक या शैक्षिक अथवा दोनों साम्मिलित करता है। समावेशी शिक्षा समानता के समान अवसर प्रदान करने पर बल देती है। विशेष बालकों को कम नियंत्रित एवं बाधित वातावरण की अपेक्षा सारगर्भित एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य बिना, किसी भेदभाव के एक साथ ही एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ भी सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा करे।

Keywords: *शिक्षा,समावेशी शिक्षा ,भारत परिवर्तन,सुधार,बढ़ते कदम*

शिक्षा हर प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन तथा सुधार की धुरी होती है। शिक्षा स्वयं इस स्थिति में पहुँच गयी है कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा चारों ओर से की जा रही है। वैश्वीकरण तथा भौतिकवाद की अंतहीन अंधी दौड़ में शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक मूल्यों का पोषण तथा चरित्र निर्माण का संकल्प बहुत पीछे छूटता नजर आ रहा है। वर्ष 2010 में ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' लागू होने पर ऐसा प्रतीत हुआ था कि शिक्षा न केवल समाज के हर बच्चे तक पहुँचेगी बल्कि इसकी गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा। लेकिन यथार्थ के धरातल पर ऐसा नहीं हुआ । सच्चाई तो यह है कि सरकारी तंत्र आंकड़ों के मकड़जाल में प्रगति को दर्शाने में जुट गया। निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में एक चौथाई स्थान वंचित वर्ग के बच्चों को देने में तरह–तरह के रोड़े अटकाने का प्रयास किया गया। निजी क्षेत्र के स्कूल से लेकर कालेज तक का शिक्षा तंत्र अपने अलगाव को विशिष्ट मानकर प्रसन्न है, संतुष्ट है। ''समान स्कूल व्यवस्था'' तथा ''पड़ोस का स्कूल'' जैसी अवधारणाएँ केवल कागजों पर सिमटी नजर आ रही हैं। शिक्षा व्यवस्था के ऐसे परिदृश्य में ही हमें स्पष्ट हो जाता है कि समावेशी शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य के प्रसार के लिये सरकारें, समाज और कारपोरेट कोई भी ईमानदार नजर नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम क्यों नहीं विकसित कर पाये जो गरीब, अमीर, ,वंचित वर्ग के हर तबके, अल्पसंख्यक वर्ग के अभावग्रस्त बच्चों को आकर्षित कर पाती, जिससे सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर एवं अधिकार को साकार कर पाती।

शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज की रीढ़ होने के साथ–साथ उसकी उन्नति और परिपक्वता का आइना भी होती है। शिक्षा से वंचित समाज कभी भी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। हमारे जैसे विकासशील देश के लिये शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना जरूरी है कि शिक्षा का

आशय महज किताब या अक्षर ज्ञान से नहीं है जो व्यक्ति लिख–पढ़ सकता है उसे साक्षर तो कह सकते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं वह शिक्षित है। हालांकि साक्षरता इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा अवश्य है। यह दुख की बात है कि आजादी के चौहत्तर वर्षों के बाद भी हम शत–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं। यही कारण है कि शिक्षित समाज के लक्ष्य को भी नहीं पा सके हैं।

हमें प्राचीन काल की तरह शिक्षा को आकर्षक पेशा बनाना चाहिये ताकि सर्वश्रेष्ठ लोग उसको अपनाने के लिये प्रेरित हों। इसी तरह आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिये स्कूलों को न्यूनतम बुनियादी सुविधायें अवश्य ही उपलब्ध कराना चाहिये। मेरा मानना है कि सरकार और समाज को मिलकर वर्तमान सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को अधिक अर्थपूर्ण और उत्पादक बनाना चाहिये। जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक अपनी सामाजिक जरूरतों अर्थात आधुनिक तकनीकी और बौद्धिक ज्ञान के लिये हम दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे। हमारा शानदार अतीत इस बात का गवाह है कि गंभीर प्रयास करने पर हम आश्चर्यजनक उपलब्धियों को हासिल करने में सक्षम है। बस इसके लिये हमें लम्बे समय से मजबूत पैठ बनाये मानसिक जकड़न से मुक्त होना होगा। हमारे पास विशाल मानव संपदा है, ऊर्जा से युक्त विशाल युवा आबादी है लेकिन हमें ऐसा तंत्र विकसित करना होगा, जिसके दम पर हम इनका सही उपयोग कर सकें। समावेशी शिक्षा के माध्यम से समाज में सभी को अर्थपूर्ण और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करके यह संभव हो सकता है। केवल इसी मार्ग से हम सुशिक्षित समाज की जमात में अग्रणी बनकर राष्ट्र को समृद्ध और विकसित कर सकते हैं।

भारत में समावेशी अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों का यदि विश्लेषण करें तो उनमें भी सभी लोगों को साथ लेकर चलने का भाव निहित है। सर्वे: भवन्तु सुखिनः में भी सबको साथ लेकर चलने का भाव निहित है, लेकिन नब्बे के दशक से उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से यह शब्द नए रूप में प्रचलन में आया क्योंकि उदारीकरण के दौर में सभी अर्थव्यवस्थाओं को भी आपस में निकट से जुड़ने का मौका मिला और अब यह अवधारणा देश और प्रान्त से बाहर निकलकर वैश्विक सन्दर्भ में भी एक अवधारणा बन गई है।

समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ–साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते है। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथीकरण के विरोधी व्यावहारिक समाधान है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी–कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गम्भीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते है, सम्प्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात् वे समन्वित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य लोगों की भाँति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवनयापन कर सकें। यह अपंग बालकों को कम प्रतिबन्धित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवनयापन कर सकें। यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा सम्बन्ध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक–दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे

जाते है। यह दिव्यांग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। दिव्यांग बालकों के जीवनयापन के स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य करती है तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिष्चित करती है।

शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्थ विशिष्ट शिक्षण के माध्यम से दिव्यांग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता–पिताओं के सामूहिक प्रयास कर आधारित है। समावेशी शिक्षा–शिक्षण की समानता तथा अवसर जो अपंगों को जब तक नहीं दिये गये उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आयाम है।

समावेशी शिक्षा अयोग्य बालकों का विद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से सर्वागीण विकास करती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट तथा सामान्य बालक एक दूसरे के निकट आते हैं, तथा उनमें सहयोग की भावना विकसित होती है। विशिष्ट, अयोग्य तथा सामान्य बालकों को शैक्षिक अनुभवों में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त होते हैं।

समावेशी शिक्षा की निम्न विशेषताएँ होती हैं–

1. समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं।
2. शिक्षा एक मौलिक अधिकार।
3. सबके लिए शिक्षा सबके लिए विद्यालय।
4. भिन्नता की पहचान।
5. अभिभावक एवं समाज की भागीदारी।
6. विविधता कोई समस्या नही।
7. सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट सम्बन्ध।
8. प्राथमिकीकरण की विरोधी।
9. सहयोग की भावना।
10. उपयुक्त वातावरण।

समावेशी शिक्षा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में सभी को स्वीकार करना होगा। अब समय आ गया है कि जब हमें स्वयं से ही सवाल करके जबाव लेना होगा। आज समाज, सरकार एवं कारपोरेट सभी को स्वयं से पूछना होगा कि आजादी के चौहत्तर वर्षों बाद भी शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुँच सकी है। सरकारी क्षेत्र की साधनहीन शिक्षा एवं निजी क्षेत्र की महंगी लेकिन मानकविहीन शिक्षा दोनों ही मूल उद्देश्य से भटक गयी। आज शिक्षा को केवल धनोपार्जन का साधन मान लिया गया है। जबकि इसे सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहिये था। शिक्षा को सामाजिक नियमों के अनुकूल एवं समय के साथ आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय बनाना चाहिए, शिक्षा का आधार स्पष्ट हो। शिक्षा समान रूप से समाज के सभी वर्गों को सहज रूप से उपलब्ध हो। यह मानव जीवन जीने की कला सिखाए इसके साथ ही जीवन के महापथ पर चलने का सलीका बतलाये। इन सबको अपनाकर समावेशी शिक्षा की ओर कदम उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी शिखा, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ, 2008
2. मित्तल एस0 आर, एकीकृत और समावेशित शिक्षा, कनिष्का प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009
3. झा एम0 एस0, समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाएं, एस प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005

4. शर्मा डॉ0 विमलेश, समावेशित विशिष्ट शिक्षा, शारदा पुस्तक सदन, नई दिल्ली, 2016
5. कर्ण महेन्द्र नारायण–भारत में सामाजिक परिवर्तन, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, जून 2003
6. इग्नू–सामाजीकरण और शिक्षा, ई.एस.ओ. –।।,मद्रित पाठ्यवस्तु, जून 2008
7. शर्मा प्रेमपाल–'शिक्षा में सम्पूर्ण सुधार का इंतजार', दैनिक जागरण,कानपुर 5 जून, 2017
8. सक्सेना, प्रो0 उदय वीर, भारतीय शिक्षा का इतिहास, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2008